

भारत का भूजल संकट

यह एडिटोरियल 10/01/2025 को द हिंस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Make country's groundwater sustainable" पर आधारित है। यह लेख खेती के लिये सचिवाई में वृद्धि के कारण भारत के भूजल पर बढ़ते दबाव का उल्लेख करता है, जो जनसंख्या वृद्धिसे और भी बढ़ता हो गया है। अटल भूजल योजना जैसी पहलों के बावजूद, बढ़ते जल संकट को दूर करने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

प्रलिमिस के लिये:

भूजल संसाधन, केंद्रीय भूजल पराधिकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड, बजिली के लिये सबसेटी, जल शक्ति अभियान, कायाकलप और शहरी परविरतन के लिये अटल मशिन, प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना, मशिन अमृत सरोवर, जलभूत के कृतरमि पुनर्भरण के लिये मास्टर प्लान, राष्ट्रीय जल नीति

मेन्स के लिये:

भारत में भूजल उपयोग का वर्तमान परादीश्य, भूजल की कमी और इसके प्रदूषण के लिये ज़मिमेदार प्रमुख कारक।

भारत के सीमित **भूजल संसाधनों** को इसकी कृषिकृष्णता, विशेष रूप से धान जैसी जल-गहन फसलों की कृषि के परणामसवरूप बहुत नुकसान पहुँच रहा है। वर्ष 2016 और 2024 के दौरान, जबकि देश की आबादी **1.29 बिलियन** से बढ़कर **1.45 बिलियन** हो गई, सचिवाई के लिये भूजल का उपयोग में भी उल्लेखनीय रूप से 38% से 52% तक वृद्धि हुई। पंजाब, हरयाणा और राजस्थान जैसे प्रमुख धान उत्पादक राज्य एक गंभीर स्थितिका सामना कर रहे हैं, जहाँ अधिकांश ज़िले अपनी भूजल कृष्णता का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे लवणीकरण और रासायनिक संदूषण की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। जबकि अटल भूजल योजना जैसी सरकारी पहलों ने ज़िलों में अस्थरी भूजल स्तर को 23% से घटाकर 19% करने में मदद की है, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के अनुमान्जल सुरक्षा के लिये तत्काल और बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

//


STAGE OF GROUNDWATER EXTRACTION

(in blocks, mandals and talukas)


- Safe (= 70%) ■ Semi-critical (> 70% and = 90%)
- Critical (> 90% and = 100%)
- Over-Exploited (> 100%) ■ Saline

GEOGRAPHICAL UNITS

===== 2020 =====



===== 2022 =====



भारत में भूजल उपयोग का वर्तमान परदिश्य क्या है?


- नष्टिकरण और उपलब्धता: भारत वशिव के लगभग 25% भूजल का नष्टिकरण करता है, जिससे यह वशिव स्तर पर भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन गया है।
 - वार्षिक भूजल नष्टिकरण (वर्ष 2023): 241.34 bcm
 - अतिविहित इकाइयाँ: 736 आकलन इकाइयाँ (11.23%) पुनःप्रयोग्य पुनर्भरण से अधिक नष्टिकरण दर्शाती हैं। सक्रिय भूजल संसाधन मूल्यांकन रपोर्ट- 2023)
- नरिभरता: भूजल भारत की जल आवश्यकताओं की रीढ़ है:
 - सचिवाइ की 62% ज़रूरतें भूजल से पूरी होती हैं।
 - ग्रामीण जल आपूर्ति का 85% तथा शहरी जल आपूर्ति का 50% भूजल पर नरिभर है।

भारत में भूजल प्रबंधन के लिये वर्तमान नियामक कार्यदाँचा क्या है?

- केंद्रीय स्तर का वनियमन
 - **केंद्रीय भूजल पराधिकरण (CGWA):** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 1997 में स्थापित।
 - अधिसूचिति क्षेत्रों में दशा-निर्देश जारी करने, परमटि देने और भूजल नष्टिकरण को वनियमित करने के लिये ज़मीनेदार।
 - अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों की नगरानी करना तथा उदयोगों, आवास और शहरी परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन को अनविर्य बनाना।
 - **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB):** भूजल संसाधनों का आकलन, मैपिंग और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएँ संचालित करता है।
 - जलभूत के कृत्रिम पुनर्भरण के लिये मास्टर प्लान (वर्ष 2020) को लागू किया गया, जिसका लक्ष्य 1.42 करोड़ पुनर्भरण संरचनाएँ बनाना है।
- राज्य स्तरीय वनियमन
 - **राज्य भूजल अधिनियम:** गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों ने भूजल नष्टिकरण एवं संरक्षण को वनियमित करने के लिये विशिष्ट भूजल अधिनियम बनाए हैं।
 - ये कानून आमतौर पर स्थानीय प्राधिकारियों को भूजल की नगरानी और प्रबंधन का अधिकार देते हैं।
 - **आदर्श भूजल विधियक:** राज्यों के लिये स्थायी भूजल प्रथाओं के अंगीकरण हेतु वर्ष 2017 की रूपरेखा, जिसमें भागीदारीपूरण और न्यायसंगत उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

भूजल की कमी और प्रदूषण के लिये ज़मीनेदार प्रमुख कारक क्या हैं?

- जल-प्रधान कृषि पद्धतियाँ: भारत की कृषि पद्धतियों में धान और गन्ना जैसी उच्च उपज वाली फसलों को प्राथमिकता दी जाती है, जो जल-गहन फसलें हैं, जिसके कारण भूजल का अत्यधिक दोहन होता है।
 - पंजाब और हरयाणा जैसे राज्यों में **ज़िली के लिये सबसंडि** और नशिल्क जल आपूर्ति से अनियमित पंपिंग को बढ़ावा मिलता है।
 - परिणामस्वरूप, वर्ष 2023 में भूजल नष्टिकरण 241.34 bcm तक पहुँच गया, जिसमें से 90% का उपयोग सचिवाई के लिये किया गया। उदाहरण के लिये, हरयाणा को प्रतविष्ठ 14 बलियन क्यूबिक मीटर जल की कमी का सामना करना पड़ता है तथा कुल जल की मांग प्रतविष्ठ 35 बलियन क्यूबिक मीटर तक पहुँच जाती है।
- जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण: बढ़ती जनसंख्या और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण ने पेयजल, स्वच्छता एवं औद्योगिक उपयोग के लिये भूजल की मांग को बढ़ा दिया है।
 - वर्ष 2016 और 2023 के दौरान भारत की जनसंख्या 1.29 बलियन से बढ़कर 1.45 बलियन हो गई है तथा शहरी प्रवास ने शहरी जलभूतों पर दबाव डाला है।
 - शहरी जल व्यय में भूजल का योगदान लगभग 45% है। बंगलूरु जैसे बड़े शहर अब भूजल स्तर में क्षरण के कारण टैकरों पर निरिभ्र हैं।
- जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा: जलवायु परिवर्तन अनियमित मानसून और बढ़ते वाष्पीकरण के कारण पुनर्भरण दरों को कम करके भूजल तनाव को बढ़ाता है।
 - दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो भारत के **भूजल पुनर्भरण** में 60% का योगदान देता है, अप्रत्याशित हो गया है, वर्ष 2023 में कुल वर्षा में 5.6% की कमी दर्ज की गई और 200 से अधिक ज़िलों में कम वर्षा हुई।
 - उदाहरण के लिये, मानसून की कम वर्षा के कारण तमलिनाडु की भूजल पर निरिभ्रता बढ़ गई है, जिससे जलभूतों का अधिक दोहन हो रहा है।
- औद्योगिक अपशिष्ट निवाहन: अनियमित औद्योगिक निवाहन और अनुपचारित शहरी अपशिष्ट जल, सीसा, पारा और क्रोमियम जैसे भारी धातुओं एवं रसायनों से **भूजल को दूषिति** करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, कानपुर के औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाले दूषित जल, विशेष रूप से चमड़े के कारखानों से आने वाले जलमें क्रोमियम और पारा जैसी भारी धातुएँ होती हैं, जिससे व्यापक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- उर्वरक और कीटनाशकों का रसायन: **उर्वरकों एवं कीटनाशकों** के अत्यधिक उपयोग से नाइट्रोजन और फॉस्फेट का रसायन भूजल में हो गया है।
 - सरकार के हालया अनुमान बताते हैं कि सितंबर 2015-16 और 2020-21 के दौरान रासायनिक उर्वरकों की खपत में लगभग 16% की वृद्धि हुई है।
 - परिणामस्वरूप, भारत के लगभग 56% ज़िलों के भूजल में नाइट्रोजन की मात्रा सुरक्षित सीमा 45 मलीग्राम/लीटर से अधिक पाइ गई है।
- असंवहनीय खनन गतिविधियाँ: **खनन कारण** विशेष रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, भारी धातु संदूषण एवं जलभूत रक्षित करण का कारण बनते हैं।
 - खदानों से यूरेनियम और फ्लोरोराइड का रसायन भूजल को दूषित करता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होता है।
 - उदाहरण के लिये, कर्नाटक के बेललारी, कलबुर्गी, कोलार, मांड्या और रायचूर में भूजल में यूरेनियम का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया है।
 - राजस्थान, हरयाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्वीकार्य सीमा से अधिक फ्लोरोराइड सांदर्भता एक महत्वपूर्ण चिह्न का विषय है।
- तटीय क्षेत्रों में लवणता का अंतर्वेधन: तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक पंपिंग और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण जलभूतों में **लवणीय जल का अंतर्वेधन** होता है।
 - CGWB की एक हालया रपोर्ट में कहा गया है कि लवणता के कारण गुजरात में भूजल संदूषण 33 में से 28 ज़िलों (85%) को प्रभावित करता है, जिससे कृषि और पेयजल की उपलब्धता प्रभावित होती है।



भूजल प्रबंधन के लिये भारत में प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- जल शक्ति अभियान (JSA):** वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया और अब इसके 5वें चरण ("कैच द रेन" वर्ष 2024) में, JSA वभिन्न योजनाओं के अभियान के माध्यम से गरामीण एवं शहरी ज़िलों में वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण पर केंद्रति है।
- कायाकलप और शहरी प्रविरतन के लिये अटल मशिन (AMRUT) 2.0:** यह मशिन तूफानी नालियों के माध्यम से वर्षा जल संचयन का समर्थन करता है तथा 'एक्वफिर प्रबंधन योजनाओं' के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देता है।
- अटल भूजल योजना (वर्ष 2020):** यह पहल 7 राज्यों के 80 ज़िलों में जल-तनावग्रस्त ग्राम पंचायतों को लक्षित करती है, जो भूजल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रति करती है।
- प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना (PMKSY):** PMKSY का उद्देश्य हर खेत को जल, जल नकियों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार एवं सतही लघु सचिवाई योजनाओं जैसे घटकों के माध्यम से सचिवाई कवरेज का वसितार करना तथा जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।
- जल उपयोग दक्षता बढ़ावा (BWUE):** वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जल मशिन के तहत स्थापित, BWUE सचिवाई, पेयजल आपूर्ति, बजिली उत्पादन और उदयोग जैसे क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देता है।
- मशिन अमृत सरोवर (वर्ष 2022):** इस मशिन का उद्देश्य जल संचयन और संरक्षण को बढ़ाने के लिये प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवरों का नरिमाण या पुनरुद्धार करना है।
- राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण (NAQUIM):** केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा 25 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में पूरा किया गया यह प्रयास भूजल पुनर्भरण और संरक्षण योजना में सहयोग करता है।
- राष्ट्रीय जल नीति (वर्ष 2012):** जल संसाधन वभिग द्वारा तैयार की गई यह नीति वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाने का समर्थन करती है।
- PMKSY का वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY):** यह घटक वर्षा सचिवाई और बंजर भूमिपर केंद्रति है तथा मृदा संरक्षण, वर्षा जल संचयन एवं आजीवका विकास जैसी गतिविधियों को एकीकृत करता है।

भारत में प्रभावी भूजल प्रबंधन के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- जल-कुशल कृषि को बढ़ावा देना: ड्रपि सचिाई, सूक्ष्म सचिाई और शून्य जुताई जैसी जल-बचत प्रथाओं के अंगीकरण से कृषि को लयि भूजल नष्टिकरण में कमी करनी आ सकती है।
 - प्रधानमंत्री कृषि सचिाई योजना (PMKSY) को अटल भूजल योजना के साथ जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कभी भूजल की कमी वाले गंभीर क्षेत्रों में कुशल सचिाई पद्धतियाँ अपनाई जा सकें।
- प्रबंधन जलभूत पुनर्भरण (MAR) के साथ सौर वलिवणीकरण: खारे या दूषित जलभूतों वाले क्षेत्रों में, भूजल की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने के लयि प्रबंधन जलभूत पुनर्भरण (MAR) को सौर ऊर्जा चालित वलिवणीकरण संयंतरों के साथ संयोजित किया जा सकता है।
 - सौर वलिवणीकरण जलभूतों को पुनर्भरण करने से पहले अतरिक्त लवणों और प्रदूषकों को हटा देता है।
 - उदाहरण के लयि, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में वलिवणीकरण के साथ-साथ MAR, लवणता अंतर्वेधन और जल की कमी दोनों को दूर कर सकता है तथा शुष्क तटीय क्षेत्रों के लयि एक स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है।
- AI और IoT के साथ जलभूत मैपिंग: जलभूत स्वास्थ्य की मैपिंग करने तथा पुनर्भरण और नष्टिकरण पैटर्न का अनुमान करने के लयि कृत्रमि बुद्धिमत्ता (AI) एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहयि।
 - जल स्तर और इसकी गुणवत्ता की रयिल टाइम मॉनिटरिंग के लयि एक केंद्रीय AI-संचालित नरिण्य लेने वाले प्लेटफॉर्म में एकीकृत IoT-स्कृष्टम सेंसरों को तैनात किया जाना चाहयि।
 - उदाहरण के लयि, महाराष्ट्र के विद्रभ में संकटग्रस्त जलभूतों की निगरानी करने तथा सक्रयि रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करने के लयि इसे अपनाया जा सकता है।
- जलभूत पुनर्भरण के लयि बायोचार: जल की गुणवत्ता बढ़ाने तथा भारी धातुओं एवं नाइट्रोएट जैसे प्रदूषकों को हटाने के लयि जलभूत पुनर्भरण परियोजनाओं के लयि बायोचार-आधारित नियन्त्रित प्रणालयों को लागू किया जाने की आवश्यकता है।
 - कृषि अवशेषों से प्राप्त बायोचार एक प्राकृतिक फलिटर के रूप में कार्य करता है तथा पुनर्भरण के दौरान प्रदूषण को कम करता है।
 - इस विधिका परीक्षण पंजाब के धान के खेतों में उत्तरवर क अपवाह से होने वाले नाइट्रोएट संदूषण को कम करने के लयि किया जा सकता है।
- वर्षा जल संचयन और जलभूत पुनर्भरण: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का वसितार करने से जलभूतों को पुनर्भरण करने में मदद मिल सकती है।
 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं के साथ जोड़ने से सामुदायिक प्रयासों को गतिमिलि सकती है।
 - उदाहरण के लयि, तमलिनाडु की प्राचीन व्यापक वर्षा जल संचयन प्रणाली को पूरे देश में वसितारति किया जा सकता है।
- फसल विधिकरण: कसिनां को धान और गन्ना जैसी अधिक जल की खपत वाली फसलों के स्थान पर कम जल की खपत वाली फसलों जैसे: बाजरा, दलहन तथा तलिहन की खेती के लयि प्रोत्साहित करने से भूजल तनाव को कम किया जा सकता है।
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन (NFSM) को राज्य फसल बीमा योजनाओं से जोड़ने तथा दालों और बाजरा पर उच्च MSP से कसिनां को फसल विधिकरण के अंगीकरण के लयि प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- बजिली सब्सडी में संशोधन: भूजल के अन्यिमति प्रम्पिंग को प्रोत्साहित करने वाली नियुक्ति या सब्सडी वाली बजिली नीतियों में सुधार आवश्यक है।
 - मीटरयुक्त विद्युत कनेक्शन शुरू करना तथा उन्हें जल के कुशल उपयोग के लयि सब्सडी से जोड़ना, संरक्षण को प्रोत्साहित कर सकता है।
 - उदाहरण के लयि, गुजरात की ज्योतिग्राम योजना, जिसने कृषि और उपभोक्ता प्रयोग के बीच अलग-अलग बजिली फीडर शुरू किया जसि पूरे देश में वसितारति किया जा सकता है।
- भूजल निगरानी को सुदृढ़ करना: भूजल-स्तर सेंसर के साथ रयिल टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क में सुधार करके नीति-नियमाताओं के लयि कार्रवाई योग्य डेटा उपलब्ध कराया जा सकता है।
 - भारत की जल संसाधन सूचना प्रणाली (WRIS) को स्थानीय भूजल निगरानी तंत्र के साथ एकीकृत करने से बेहतर नरिण्य लेने की प्रक्रयि सुनिश्चित हो सकती है।
 - उदाहरण के लयि, तेलंगाना का मशिन काकतीय जलभूत स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लयि स्थानीय डेटा अंतर्दृष्टिको जोड़ता है तथा इसका उददेश्य लघु सचिाई टैक्सों और झीलों का पुनरुद्धार करना है।
- शहरी जल प्रबंधन: औद्योगिक शीतलन और सचिाई जैसे गैर-पैय उपयोगों के लयि शहरी अपशिष्ट जल पुनरचक्रण को बढ़ावा देने से शहरों में भूजल पर नियमित कम हो सकती है।
 - अपशिष्ट जल पुनरचक्रण नीतियों के साथ अमृत 2.0 (अटल कायाकल्प और शहरी प्रविरतन मशिन) को एकीकृत करने से शहरी जल का संवहनीय उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लयि, बंगलूरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (BWSSB) का लक्ष्यकावेरी पर दबाव को 50% तक कम करने के लयि 1 करोड़ MLD सीवेज को रसाइकलि करना है, जो सही दशि में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- नज़ी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना: भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायत्व (CSR) निवेश को प्रोत्साहित करने से अतरिक्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं।
 - CSR को अटल भूजल योजना जैसी योजनाओं के साथ जोड़ने से सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप के लयि धन आकर्षित किया जा सकता है।
- जलवायु-लचीली रणनीतियाँ: भूजल बैंकिंग और अनुकूली पुनर्भरण प्रणालयों के साथ अन्यिमति मानसून के लयि तैयारी करना जलवायु जोखमिं को कम करने के लयि महत्वपूर्ण है।
 - जलवायु प्रविरतन के लयि राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) के अंतर्गत जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं के साथ जोड़ने से समुत्थानशक्ति दिखाए जा सकती है।
- दूषित जलभूतों के लयि फाइटोरमिडिशन: दूषित भूजल को साफ करने के लयि पादप-आधारित विधि, फाइटोरमिडिशन को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
 - इसमें जलकुंभी या वेटविर जैसे पौधों का चयन किया जाना चाहयि जो अपनी जड़ों के माध्यम से भारी धातुओं और रसायनों को अवशोषित करते हैं।
 - चमड़े के कारखानों के अपशिष्टों से प्रभावति कानपुर जैसे अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इस पद्धतिको लागू करने से भूजल की

- गुणवत्ता में प्रभावी रूप से सुधार हो सकता है।
- सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी: अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों को संवहनीय भूजल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने से उन्हें संरक्षण उपायों के अंगीकरण के लिये सशक्त बनाया जा सकता है।
 - जल शक्ति अभियान को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHG) और गैर-सरकारी संगठनों के साथ जोड़कर इसकी पहुँच बढ़ाई जा सकती है।

भूजल प्रबंधन के लिये भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है?

- वनियिमति भूजल नष्टिकरण (कैलफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका): कैलफोर्निया का सतत भूजल प्रबंधन अधिनियम (SGMA) रायिल टाइम मॉनिटरिंग के साथ सतत जलभूत उपयोग के लिये स्थानीय योजनाओं को लागू करता है।
- भारत पंचायती राज संस्थाओं को क्षेत्र-विशिष्ट भूजल योजनाएँ विकसित करने तथा नष्टिकरण सीमाएँ लागू करने के लिये सशक्त बना सकता है।
- परशिद्ध सचिवाई (इजरायल): इजरायल की डरपि सचिवाई और मृदा की नमी की निगरानी से जल की बचत होती है तथा फसल की उपज बढ़ती है।
- भारत PMKSY में परशिद्ध सचिवाई को एकीकृत कर सकता है, विशेष रूप से पंजाब और हरयाणा जैसे जल-संकटग्रस्त राज्यों में।
- जल व्यापार (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया के वाटर मार्केट्स स्थायी सीमाओं के भीतर जल अधिकारों की खरीद और बिक्री को सक्रम बनाते हैं।
- भारत कुशल जल आवंटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान जैसे अतिविहित क्षेत्रों में जल व्यापार प्रणाली का संचालन कर सकता है।

नष्टिकरण:

भारत का भूजल संकट, सचिवाई के लिये भूजल का अत्यधिक प्रयोग, जनसंख्या वृद्धि एवं प्रदूषण के कारण और भी गंभीर हो गया है, जिसके लिये तत्काल और निरित कार्रवाई की आवश्यकता है। यद्यपि अटल भूजल योजना एवं जल शक्ति अभियान जैसी पहलों से उम्मीदें जगी हैं, फरि भी भूजल प्रबंधन कार्रवाई को और भी सुदृढ़ करना, जल-कुशल कृषि प्रदृष्टियों का अंगीकरण, जलभूत मैपिंग और बायोचार नियन्त्रण जैसे अभिनव समाधान आवश्यक हैं।

प्रश्न 1. "भारत, भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के नाते, अतिविहित और प्रदूषण से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है।" प्रभावी भूजल प्रबंधन के लिये संवहनीय समाधान सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न 1. नमिनलखिति में से कौन-से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? (2013)

1. आर्सेनिक
2. सारबटिल
3. फ्लुओराइड
4. फार्मेल्डहाइड
5. यूरेनियम

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनायिः

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2, 4 और 5
- (c) केवल 1, 3 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. नमिनलखिति में से कौन-सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिये सुप्रसिद्ध है, जहाँ बाँधों की शृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? (2021)

- (a) धौलावीरा
- (b) कालीबंगा
- (c) राखीगढ़ी
- (d) रोपड़

उत्तर: (a)

प्रश्न 3. 'वॉटरक्रेडिट' के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिये सूक्ष्म वित्त साधनों (माइक्रोफाइनेंस टूल्स) को लागू करता है।
- यह एक वैश्वकि पहल है जसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्त्वावधान में प्रारंभ किया गया है।
- इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायती के बिना अपनी जल-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समर्थ बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

?????

प्रश्न 1. जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवरतति जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? (2020)

प्रश्न 2. रक्तीकरण परिवेश में विकी जल उपयोग के लिये जल भंडारण और सचिाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइये। (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-groundwater-crisis>

